रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 301] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 11, 1974/अग्रहायण 20, 1896

No. 301] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 11, 1974/AGRAHAYANA 20, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

RESOLUTION

New Delhi, the 11th December 1974

No. PLO/94/74.—The Government of India have decided to set up a Wage Revision Committee for Port and Dock workers at the major ports having Port Trusts/Port Commissioners/Dock Labour Boards.

2. The composition of the Committee will be as follows:—

Chairman

1. Shri B. N. Lokur, Retired Judge of Allahabad High Court, New Delhi.

Member

2. Shri T. S. Sankaran, Joint Secretary, Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

3. Dr. B. V. Mehta, Professor and Head, Department of Economics, South Gujarat University, Surat.

3. The following will be the terms of reference of the Committee:

(a) The Committee will be required to enquire into and recommend as to what revision is necessary in the existing "wage structure" of the "Employees" specified in sub-para (d) below.

(b) In making their recommendations, the Committee will have regard, among other relevant factors, to the following:—

(i) The obligation of Port and Dock undertakings to provide adequate and efficient port and dock facilities at a reasonable cost;

(ii) the capacity of Port authorities and Dock Labour Boards to pay the wage bill, keeping in view the character of the Port transport industry;

(iii) the need for uniformity in the rates of emoluments and benefits of employees doing similar jobs at various major ports;

(iv) the total monetary accrual to the workers, inclusive of basic wage, allowances, payment of ex-gratia, etc;

(v) duties and responsibilities of various posts, including the skills and hazards involved;

(vi) the need for adjusting wage differentials in such a manner as to provide incentive to workers for advancing their skills;

(vii) the economic conditions in the country, and all other related factors;

(viii) the requirements of social justice; and

(ix) extending the system of payment by results; i.e. linking wages to output.

Explanation.—In applying the system of payment by results, the Committee shall keep in view the need for fixing a minimum (fall-back) wage and also to safeguard against overwork and undue speed.

(c) Keeping in view the existing level of wages and variations in dearness allowance from time to time as per the formula evolved by the Central Wage Board for Port and Dock Workers, 1969, the Committee will submit its recommendations regarding demand for relief of an interim character within three months from the date the Committee starts its work. In the event of the Committee advising any interim relief, the date from which this relief should take effect will be indicated by the Committee.

(d) The term "wage structure" as mentioned above would include pay, special pay and allowances.

The term "Employees" mentioned in sub-para (a) above will cover the following, excluding Class I and Class II Officers,:—

(i) persons employed by the major port trusts of Bombay, Madras, Visakhapatnam, Cochin, Mormugao, Kandla and Paradip and the Commissioners for the Port of Calcutta;

(ii) persons employed by the Dock Labour Boards and their Administrative Bodies at Bombay, Calcutta, Madras, Visakhapatnam, Cochin, Mormugao and Kandla; and

(iii) persons covered under the schedules of various schemes framed under the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948.

(e) The Committee may also look into the cases of such other categories of workers covered by the Central Wage Board for Port and Dock Workers, 1969, but not included herein, if and when referred to by the Ministry of Labour on receipt of requests on behalf of these categories. Such references to the Committee will be made by the Ministry of Labour only.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. RAMAKRISHANAYYA, Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

संकल्प

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1974

सं० पी० एल० डी० 94/74.—भारत सरकार ने पत्तन न्यास/पत्तन आयुक्त/गोदी श्रम बोर्ड वाले बड़े पत्तनों पर पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के लिये वेतन संशोधन समिति बनाने का निर्णय किया है ।

2. समिति की संरचना निम्न प्रकार से होगी:—

अध्यक्ष

(1) श्री वी० एन० लोकुर, इलाहाबाद उच्च न्यायलय का सेवा निवृत्त न्यायाधीश, नई दिल्ली ।

सदस्य

(2) श्री टी० एस० शंकरन,
संयुक्त सचिव, श्री मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

(3) डा० डी० पी० मेहता,
प्राध्यपक एवं मुख्य अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष, साउथ गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत ।

3. समिति के विचारार्थ निम्नलिखित विषय होंगे:—

(क) समिति इस बात की जांच करेगी कि और सिफारिश करेगी कि नीचे उप पैरा (ध) में विनिर्दिष्ट "कर्मचारियों" के वर्तमान "वेतन ढांचे" में क्या संशोधन किया जाना है ।

(ख) अपनी सिफारिशें करते हुये समिति अन्य संगत बातों के साथ साथ निम्नलिखित बातों पर विचार करेगी :

(i) उचित लागत पर पर्याप्त एवं कुशल पत्तन तथा गोदी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये पत्तन तथा गोदी उपक्रमों की बाध्यता ।

(ii) पत्तन परिवहन उद्योग की विशेषता को ध्यान में रखते हुये मजदूरी देने के लिये पत्तन अधिकारियों और गोदी श्रम बोर्डों की क्षमता ।

(iii) विभिन्न बड़े पत्तनों पर एक जैसा कार्य कर रहे कर्मचारियों की परिलब्धियां एवं लाभों की दरों में एकरूपता की आवश्यकता ।

(iv) कर्मचारियों को होने वाला कुल आर्थिक लाभ जिसमें मूल वेतन, भत्ते, अनुग्रह-पूर्वक, प्रदायगी आदि शामिल हैं ।

(v) विभिन्न पदों के कार्य एवं उत्तरदायित्व जिनमें दक्षता और होने वाला जोखिम शामिल हैं ।

(vi) वेतन में अन्तर को इस ढंग से समायोजन करने की आवश्यकता जिससे कर्मचारियों को अपनी दक्षता में वृद्धि करने के लिये प्रोत्साहन मिले ।

(vii) देश में आर्थिक स्थिति और सभी अन्य संबंधित बातें ।

(viii) सामाजिक न्याय की आवश्यकता ; और

(ix) परिणामों द्वारा अदायगी की पद्धति में विस्तार ; अर्थात् मजदूरी को उत्पादन से जोड़ना ।

स्पष्टीकरण.—परिणामों द्वारा अदायगी की पद्धति लागू करने में समिति निम्नतम (सहारा लेना) वेतन निर्धारण करने के लिये तथा अधिक कार्य और अनुचित गति के विरुद्ध सुरक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखेगी।

(ग) वर्तमान मौजदा वेतन स्तरों तथा पत्तन और गोदी कर्मचारियों को केन्द्रीय वेतन बोर्ड 1969 द्वारा प्रस्तुत फार्मूले के अनुसार समय समय पर मंहगाई भत्ते में अन्तरों को ध्यान में रखते हुये समिति अपना कार्य शुरू करने की तारीख से तीन महीने के अन्दर अन्तरिम सहायता की मांग की अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करगी । समिति द्वारा किसी प्रकार की अन्तरिम सहायता देने की सलाह की हालत में समिति यह भी बतायेगी कि अन्तरिम सहायता किस तारीख से दी जाय ।

(घ) शब्द "वेतन ढांचा" जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, में वेतन, विशेष वेतन तथा भत्ते शामिल हैं ।

उपरोक्त पैरा (क) में उल्लिखित शब्द "कर्मचारी" में निम्नलिखित आते हैं और श्रेणी 1 तथा श्रेणी 2 अधिकारी शामिल नहीं हैं:—

(i) बम्बई, मद्रास, विशाखापत्तनम, कोचीन, मारमुगाव, कांडला तथा पारादीप के बड़े पत्तनों और कलकत्ता पत्तन आयुक्तों द्वारा नियुक्त व्यक्ति ;

(ii) गोदी श्रम बोर्डों तथा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, विशाखापत्तनम, कोचीन, मारमुगाव तथा कांडला में उनकी प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा नियुक्त व्यक्ति ;

(iii) गोदी कर्मचारी (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत बनी विभिन्न योजनाओं की अनुसूचियों के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति ।

(ङ) समिति कर्मचारियों के ऐसे वर्गों के मामलों की भी जांच करेगी जो पत्तन तथा गोदी कर्मचारी के लिये केन्द्रीय वेतन बोर्ड, 1969 के अन्तर्गत आते हैं, परन्तु इनके वे मामले नहीं आते जो इन वर्गों की ओर से अनुरोध प्राप्त होने पर यथा समय श्रम मंत्रालय को भेजे गये हों । समिति को ऐसा हवाला केवल श्रम मंत्रालय करेगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि सभी संबंधित अधिकारियों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एम० रामकृष्णय्या, सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974